भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 995

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

समेकित बाल विकास योजना

995. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण संबंधी समस्या का समाधान करने और स्वास्थ्य परिणामों के लिए समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम द्वारा किए गए प्रयासों और रणनीतियों का आकलन/पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मिल रही स्वच्छता सुविधाओं, पेयजल और पक्के भवनों की कमी जैसी अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके समाधान हेतु संसाधनों के आवंटन तथा समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): 15वें वित्त आयोग (एफसी) अवधि के दौरान, 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए पोषण सहायता; बच्चों (3-6 वर्ष) के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा तथा आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना जैसे विभिन्न घटकों

को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है:

i. पूरक पोषण (एसएनपी),
ii. पूर्व-विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा,
iii. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा,
iv. टीकाकरण,
v. स्वास्थ्य जांच,
vi. रेफरल सेवाएँ

छह सेवाओं में से तीन-अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ, स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य बेहतर पोषण सामग्री और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

इस मिशन के अंतर्गत, सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे क्रियाकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार हेतु एक नई कार्यनीति बनाई गई है। यह कार्यनीति आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार मानकों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार एवं तंदुरुस्ती पर केंद्रित है।

देश भर में मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या पंजीकृत लाभार्थियों के अनुरूप बनाने के लिए, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे उन आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे हैं, पास के प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ जगह उपलब्ध हो वहां स्थापित करें। इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका वाले पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ): सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, 15वें वित्त आयोग अवधि में , सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से सुदृढ़ और उन्नत किया जाना है ताकि लाभार्थियों को बेहतर पोषण प्रदान किया जा सके और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को बढ़ाने हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) प्रदान की जा सके। अब तक, 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नत करने की स्वीकृती दी जा किया जा चुकी है।

मनरेगा घटक के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होकर, पाँच वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाने हैं। मनरेगा के साथ तालमेल से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की लागत मानदंड को संशोधित करके 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र दिए जाएँगे। अब तक, मनरेगा के तहत निर्माण के लिए 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत पेयजल सुविधा और शौचालय निर्माण के लिए निधि का प्रावधान है। आंगनवाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए, मंत्रालय ने स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की लागत 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और शौचालय के निर्माण की लागत 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दी है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के साथ मिलकर 2500 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

******